

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय****लखनऊ****धारा 482 के अंतर्गत प्रार्थनापत्र संख्या – 3174/2025**

मों. आसिफ एवं एक अन्य

...प्रार्थी (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, गृह विभाग एवं 2 अन्य

... विरोधी पक्षकार (गण)

प्रार्थी (गण) के अधिवक्ता: – प्रदीप कुमार त्रिपाठीविरोधी पक्षकार (गण) के अधिवक्ता :- शासकीय अधिवक्ता, अब्दुल मलिक, अखलाक अली, अमर सिंह, रिजवान अहमद
-----**न्यायालय संख्या – 16****माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह**

आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान अधिवक्ता, विपक्षी संख्या 2 और 3 के विद्वान अधिवक्ता श्री अखलाक अली को सुना और अभिलेख का परिशीलन किया।

इस आवेदन द्वारा आवेदकों ने थाना तालकटोरा, जिला- लखनऊ में तहत भारतीय दंड संहिता की धारा 498क, 323, 504, 506 और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा ५ के अंतर्गत दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 0274 / 2023 से संबंधित आरोप पत्र संख्या 01 वर्ष 2024 दिनांक 8.3.2024 तथा अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट VI, न्यायालय संख्या 30, लखनऊ द्वारा आपराधिक वाद संख्या 128628 वर्ष 2024 "राज्य बनाम मोहम्मद आसिफ एवं अन्य" में पारित समन आदेश दिनांक 23.12.2024 को रद्द करने तथा अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट VI, न्यायालय संख्या 30, लखनऊ की न्यायालय में लंबित आपराधिक वाद संख्या 128628 वर्ष 2024 "राज्य बनाम मोहम्मद आसिफ एवं अन्य" की संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की प्रार्थना की है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

आवेदकों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि यह मामला वैवाहिक विवाद से उत्पन्न हुआ है और कुछ गलतफहमी के कारण यह प्राथमिकी दर्ज की गई थी और उसके बाद पक्षकार एक साथ बैठे और उन्होंने अपने विवाद को सुलझा लिया है और उसे समझौता विलेख दिनांक 06.09.2025 के रूप में लिखित रूप में भी दर्ज किया गया है। अपने तर्कों को विस्तार देते हुए, उन्होंने यह भी कहा कि अब पक्षकारों ने समझौता विलेख निष्पादित कर अपने सभी विवादों को शांत कर दिया है और इस प्रकार वर्तमान आवेदकों के विरुद्ध आगे की आपराधिक कार्यवाही एक निष्फल प्रक्रिया के समान होगी और आवेदकों के उत्पीड़न के समान होगी।

अपने तर्कों में उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि इस माननीय न्यायालय ने दिनांक 26.02.2026 के आदेश द्वारा मामले को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 / भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 528 के अंतर्गत आवेदन संख्या 3174/ 2025 में समझौता सत्यापन के लिए संदर्भित किया था और उपरोक्त आदेश के अनुपालन में दोनों पक्ष अवर न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए हैं और समझौता विलेख दिनांक 06.09.2025 को सभी संबंधित पक्षों की उपस्थिति में सत्यापित किया गया है और सत्यापन आदेश दिनांक 13.03.2026 को विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-III, न्यायालय संख्या 27, लखनऊ द्वारा पारित किया गया था। उन्होंने यह निवेदन भी किया कि अब पक्षकारों के बीच मामला सुलझ गया है, और इस प्रकार थाना-तालकटोरा, जिला-लखनऊ में भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 504, 506 और दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3/4 दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 274/2023 से उद्भूत आपराधिक वाद संख्या 128628/2024 (उत्तर प्रदेश राज्य बनाम मोहम्मद आसिफ एवं अन्य) की कार्यवाही को रद्द किया जा सकता है।

दूसरी ओर, विरोधी पक्षकार संख्या 2 एवं 3 के विद्वान अधिवक्ता ने भी प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता के तर्क का समर्थन किया है और यह निवेदन किया है कि पक्षकारों ने समझौता विलेख निष्पादित कर लिया है और अब पक्षकारों के मध्य कोई विवाद नहीं है, अतः प्रार्थी के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही समाप्त की जा सकती है।

दूसरी ओर, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को उपर्युक्त तर्कों पर कोई आपत्ति नहीं है।

पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के उक्त तर्कों पर विचार करते हुए, मैं पाता हूँ कि पक्षकारों के बीच दिनांक 06.09.2025 को समझौता किया गया है और उक्त समझौते को दिनांक 13.03.2026 को सत्यापित किया

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

गया है और, अब पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के कथनानुसार, वे मुकदमा अपराध संख्या 274/2023 से उद्भूत आपराधिक वाद उत्तर प्रदेश राज्य बनाम मोहम्मद आसिफ एवं अन्य में आगे कार्यवाही नहीं चाहते हैं।

उपरोक्त के दृष्टिगत, चूंकि प्रार्थीगण और विरोधी पक्षकारगण ने दिनांक 06.09.2025 को समझौता कर लिया है और कोई शिकायत शेष नहीं है, अतः उक्त आपराधिक वाद में अग्रिम दायित्विक कार्यवाही उच्चतम न्यायालय द्वारा बी.एस. जोशी एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य (2003) 4 एससीसी 675, निखिल मर्चेंट बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो [2008) 9 एससीसी 677], मनोज शर्मा बनाम राज्य एवं अन्य (2008) 16 एससीसी 1, ज्ञान सिंह बनाम पंजाब राज्य (2012) 10 एससीसी 303 और नरिंदर सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य (2014) 6 एससीसी 466 में घोषित निर्णयों के आलोक में रद्द किए जाने योग्य है।

परिणामस्वरूप, थाना-तालकटोरा, जिला-लखनऊ में भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 504, 506 और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 274/2023 से उद्भूत आपराधिक वाद संख्या 128628/2024 (उत्तर प्रदेश राज्य बनाम मोहम्मद आसिफ एवं अन्य) की कार्यवाही को एतद्वारा रद्द किया जाता है।

समझौता विलेख इस आदेश का भाग होगा।

परिणाम अनुसरित होंगे।

तदनुसार प्रार्थनापत्र को स्वीकृत किया जाता है।

(न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह)

30 मार्च 2026

एकेएस